न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2019RAAJu223RTA021 Chatersingh etc Vs Khemsingh etc

1. चतरसिंह पुत्र गंगाराम माली गहलोत
2. बलवीरसिंह पुत्र गंगाराम माली गहलोत
3. प्रेमसिंह पुत्र गंगाराम माली गहलोत

निवासीगण पदाला बेरा, मण्डोर
जिला जोधपुर (राजस्थान)

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. खेमसिंह पुत्र स्व. नृसिंह जी माली गहलोत
2. चेतनसिंह पुत्र स्व. नृसिंह जी माली गहलोत
3. हरीसिंह पुत्र स्व. नृसिंह जी माली गहलोत

निवासीगण पदाला बेरा, मण्डोर,
जोधपुर (राजस्थान)

4. श्रीमती छोटा पत्नी सम्पत जी सांखला पुत्री स्व. नृसिंह जी माली गहलोत निवासी गली नम्बर 2, नयापुरा, मण्डोर, जोधपुर
5. गीता पत्नी जयसिंह सांखला पुत्री स्व. नृसिंह जी माली गहलोत, निवासी सांखलों का बास, मगरा पूंजला, जोधपुर
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर दिनांक 14 जनवरी 2019 राजस्व वाद संख्या 78/2013 चतरसिंह व अन्य बनाम खेमसिंह इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री जे. गहलोत, अधिवक्ता अपीलाण्ट्स
श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक से पांच
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या छः

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 23 दिस., 2019

अपीलाण्ट ने यह अपील विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 78/2013 चतरसिह व अन्य बनाम खेमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2019 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 12 फरवरी 2019 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में इस प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-अपीलाण्ट्स ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पेश कर वादीगण-अपीलाण्ट्स एवं प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक से पांच एक ही पूर्व-पुरूष के वंशज होना जाहिर किया और वाद-पत्र के पद संख्या दो में वर्णित आराजियात खसरा संख्या 856/1/856/2, 860, 861, 862, 864एवं 863 कुल रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक से पांच के भौतिक कब्जे में होना और वादपत्र के पद संख्या सात में वर्णित आराजियात खसरा संख्या 867, 868 एवं 870 कुल रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा वादीगण-अपीलाण्ट्स के भौतिक कब्जे में होना जाहिर करते हुए प्रतिवादीगण-रेस्पो. के भौतिक कब्जे की आराजियात में से आधिक्य वाली 2½ बीघा भूमि का विधिवत बंटवारा कर वादीगण-अपीलाण्ट्स के हिस्से की भूमि की डिक्री पारित किये जाने एवं तदनुसार प्रतिवादीगण-रेस्पो. के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण-रेस्पो. को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 16 अक्तूबर 2014 को प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या एक से चार की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय में जबाबदावा पेश कर दावे का विरोध किया गया। अन्य प्रतिवादी के जबाब हेतु प्रकरण विचाराधीन रहते हुए प्रतिवादी-रेस्पो. की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में 14 सितम्बर 2016 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर जाहिर किया गया कि पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदियों से स्पष्ट है कि वादीगण तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमियों के खाते अलग-अलग है और वे परस्पर संयुक्त खातेदारी की भूमियॉ नहीं है। विभाजन का दावा संयुक्त खातेदारी की भूमि के संबंध में सहखातेदारान के द्वारा ही लाया जा सकता है। अतः आलौच्य मामले में बिना संयुक्त खातेदारी की आराजियात, बिना सहखातेदारी और बिना कब्जा वादीगण द्वारा प्रस्तुत विभाजन का दावा चलने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज किया जावे। वादीगण ने उक्त प्रार्थनापत्र का जबाब एवं प्रारम्भिक आपत्तिया पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र बाबत पक्षकारान की सुनवाई कर अपीलाधीन आदेश उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर वादीगण-अपीलाण्ट्स का दावा खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर वादीगण-अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की वंशावली इस प्रकार है --

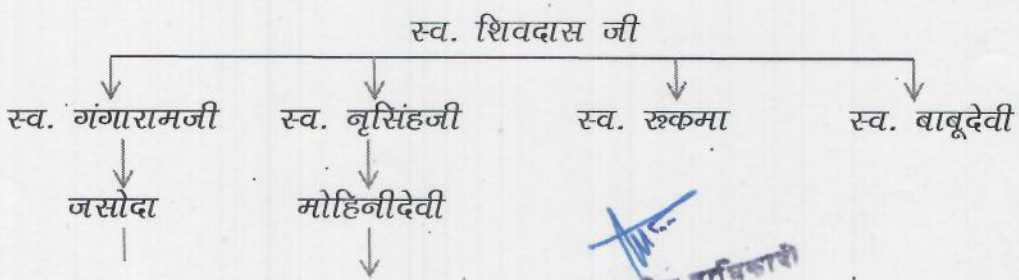

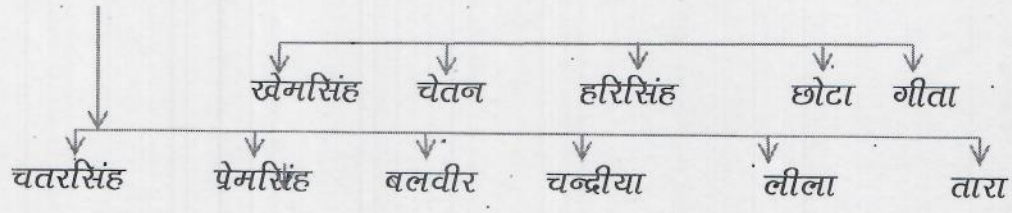

वादीगण-अपीलाण्ट्स की माता जसोदा का देहान्त हो गया, वादीगण-अपीलाण्ट्स की बहनों ने वादग्रस्त आराजियात में अपना हक-हिस्सा वादीगण-अपीलाण्ट्स के पक्ष में छोड दिया, इस कारण जरिये हकतर्कनामा म्युटेशन संख्या 1729 दिनांक 29 सितम्बर 2011 राजस्व रिकार्ड में बहिनों के हिस्से बाबत वादीगण-अपीलाण्ट्स का नाम दर्ज कर दिया गया। इसी कारण आलौच्य वाद में बहिनों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। वादीगण-अपीलाण्ट्स के पास वर्तमान में मात्र 07 बीघा 11 बिस्वा भूमि ही है, जबकि प्रतिवादीगण-रेस्पो. के पास 10 बीघा 8 बिस्वा भूमि है, जबकि स्व. शिवदास के दो पुत्रों गंगाराम जी व नृसिंहजी के मध्य समान भूमि होनी चाहिये। मगर प्रतिवादीगण-रेस्पो. के पास इस प्रकार 2½ बीघा अधिक भूमि है, जिसमें वादीगण-अपीलाण्ट्स का हिस्सा जरिये विभाजन अलग कर वादीगण-अपीलाण्ट्स को दिया जाना एवं तदनुसार स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी पारित किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मतः है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण-रेस्पो. की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश कर पक्षकारान के सहखातेदारान नहीं होने, वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी की नहीं होने, मौके पर वादीगण-अपीलाण्ट्स का कब्जा नहीं होने आदि प्रश्न उठाये है, वास्तव में उनके संबंध में जबाबदावा पेश होने के बाद तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षकारान को साक्ष्य सबूत का अवसर प्रदान करने के बाद सभी पक्षकारान की सुनवाई के बाद ही समुचित विवेचन एवं विश्लेषण के बाद तनकीवार विनिश्चयन किया जा सकता था। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थनापत्र की फौरी कार्यवाही के आधार पर उक्त महत्वपूर्ण विन्दुओं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बाबत कोई राय कायम नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्व में हुए अपने ही निर्णय (बंटवारा) को मानने में विधिक त्रुटि की है क्योंकि पूर्व की बंटवारा डिक्री में अपीलाण्ट-वादीगण के पिता गंगाराम व रेस्पो. संख्या एक से पाच के पिता नृसिंह की संयुक्त खातेदारी का न तो बंटवारा किया गया और न ही हुआ। इस कारण उक्त बंटवारे के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री तथा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने अपीलाधीन निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि वादीगण-अपीलाण्ट्स ने अपने वादपत्र के पद संख्या चार, छः एवं सात में स्वयं ही वादीगण-अपीलाण्ट्स के भौतिक कब्जे-काश्त की आराजियात तथा प्रतिवादीगण-रेस्पो. के भौतिक कब्जे काश्त की आराजियात का स्पष्ट अलग-अलग विवरण खसरा नम्बरान एवं रकबा सहित प्रस्तुत किया है। इसके अलावा वादपत्र के साथ अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी राजस्व ग्राम मण्डोर द्वितीय संवत 2060-2063 की प्रस्तुत की गयी है, उससे स्पष्ट पता चलता है कि खाता संख्या 992 के खातेदार यशोदादेवी बेवा गंगाराम चतरसिंह बलवीरसिंह प्रेमसिंह पिसरान गंगाराम जाति माली साकिन पदाला बेरा मण्डोर खातेदार ना.क.सं. 1094 की खातेदारी में खसरा संख्या 867, 868 व 870 रकबा कमशः 4 बीघा, 01 बीघा 06 बिस्वा एवं 02 बीघा 05 बिस्वा दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या186 नया (154 पुराना) के खातेदारान नृसिंह पि. शिवदास माली सा. पदाला बेरा खातेदार की खातेदारी में खसरा संख्या 858 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 860 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 861

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 862 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 863 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 864 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 869 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 856/2 रकबा 15 बिस्वा दर्ज है। इस प्रकार वादीगण-अपीलाण्ट्स के वादपत्र में वर्णित अभिकथनों से ही वस्तुस्थिति स्वतः ही प्रकट है कि न तो वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी की आराजियात है, न पक्षकारान सहखातेदारान है, और न ही पक्षकारान का किसी प्रकार का कोई कब्जे संबंधित विवाद है। ऐसी स्थिति में वादपत्र के आधार पर ही स्पष्ट हो जाता है कि वादीगण-अपीलाण्ट्स को किसी प्रकार का कोई वादकरण पैदा ही नहीं हुआ है और ऐसा वाद विधि द्वारा वर्जित है। ऐसे मामले में ना तो किसी प्रकार के जबाबदावे की आवश्यकता रहती है और न ही तनकियात कायम करने की जरूरत पडती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किये गये है, अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से तदुनसार खारिज की जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया जिससे पाया जाता है कि अपने वादपत्र में स्वयं वादीगण-अपीलाण्ट्स ने पद संख्या 6 में स्पष्ट अंकित किया है कि निम्नलिखित खसरा नम्बरान की आराजियात प्रतिवादीगण संख्या एक से चार के भौतिक कब्जे में है। इसी प्रकार वादपत्र के पद संख्या 7 में वादीगण के कब्जे काश्त के खसरा नम्बरान की आराजियात का विवरण अंकित कर यह भी जाहिर किया गया है कि प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में वादीगण की तुलना में 2½ बीघा अधिक भूमि है। **वादीगण एवं प्रतिवादीगण का मौके पर अलग-अलग भौतिक कब्जा काश्त वादीगण द्वारा**

वादपत्र में लिखित स्वीकारोक्ति के आधार पर स्वतः ही साबित हो जाता है, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार स्वीकारोक्ति से सर्वोत्तम साक्ष्य अन्य कोई नहीं है। इसके अलावा वादपत्र के साथ प्रपत्र तीन के संलग्न राजस्व रिकार्ड जमाबंदी राजस्व ग्राम मण्डोर द्वितीय संवत 2060-2063 की प्रस्तुत की गयी है, उससें स्पष्ट पता चलता है कि खाता संख्या 992 के खातेदार यशोदादेवी बेवा गंगाराम चतरसिंह बलवीरसिंह प्रेमसिंह पिसरान गंगाराम जाति माली साकिन पदाला बेरा मण्डोर खातेदार ना.क.सं. 1094 की खातेदारी में खसरा संख्या 867, 868 व 870 रकबा कमशः 4 बीघा, 01 बीघा 06 बिस्वा एवं 02 बीघा 05 बिस्वा दर्ज है। इसी प्रकार खाता संख्या186 नया (154 पुराना) के खातेदारान नृसिंह पि. शिवदास माली सा. पदाला बेरा खातेदार की खातेदारी में खसरा संख्या 858 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 860 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 861 रकबा 2 बीघा, खसरा संख्या 862 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 863 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 864 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 869 रकबा 4 बीघा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 856/2 रकबा 15 बिस्वा दर्ज है। इस प्रकार वादीगण-अपीलाण्ट्स स्वयं के वादपत्र व उसके संलग्न राजस्व रिकार्ड से ही स्वतः सिद्ध है कि न तो वादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी की है और न ही पक्षकारान परस्पर सहखातेदारान है तथा न ही उनका संयुक्त कब्जा-काश्त है। जब वादीगण-अपीलाण्ट्स के वाद से ही उक्त सभी तथ्य स्वतः सिद्ध है तो फिर जबाबदावा एवं तनकियात की औपचारिकताएँ मात्र ही रह जाती है, जिनका कोई औचित्य नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री दिनांक 14 जनवरी 2019 कायम रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/12/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर